प्रेस नोट दिनांक 17.03.2026

बुक राइटिंग के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 11000/- (इग्यारह हजार) रुपये थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये बुक राइटिंग के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 11000/- (इग्यारह हजार) रुपये पीडिता रुबीना परवीन पुत्री इरशाद अहमद निवासी 33 मोमिनपुरा मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की कुल 11000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. थाना अध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. क0आ0 नवनीत पाण्डेय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. म0का0 स्वाती चौबे थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
4. म0का0 प्रीती सिंह थाना दक्षिण टोली जनपद मऊ।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 20,000/- (बीस हजार) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि 20,000/- (बीस हजार) रुपये पीडित जीशान पुत्र अतिर्कुरहमान निवासी हट्ठीमदारी जनपद मऊ की कुल 20,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व ₹ 7000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एएसजे प्रथम कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा 17.03.2026 को मु0अ0सं0 158/20218 धारा 302, 201 भादवी का अभियोग थाना कोपागंज जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त 1.अजीज उर्फ हिसामुद्दीन पुत्र हुसैन अहमद निवासी बाला कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊजनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹ 7000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री नन्दलाल भारतीय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।

आगामी त्यौहार को लेकर शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 17.03.2026 को सायंकाल अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत , थानाध्यक्ष दक्षिण टोला व पुलिस बल के साथ में मऊ नगर क्षेत्र में दक्षिण टोला क्षेत्रान्तर्गत रुट मार्च/पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान भ्रमण कर रोड के किनारे अतिक्रमण आदि बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा।